

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, बूंदी

पीठासीन अधिकारी—

अमानुल्लाह खान,

आर.ए.एस.

तारीख फैसला

16.08.2021

मिसल संख्या

तारीख दायरा

185 / प्रा0पत्र / 17

13.04.2017

सरकार जयें तहसीलदार, हिण्डोली
बनाम

—प्रार्थी

देवीशंकर आ0 भूरा जाति रेगर निवासी भवानीपुरा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी
—अप्रार्थी

उपस्थित—

प्रार्थी की ओर से परोकार सरकार
अप्रार्थी के विरुद्ध—एकपक्षीय कार्यवाही

निर्णय

यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू आवंटन) नियम, 1970 तहसीलदार हिण्डोली ने इस न्यायालय में प्रस्तुत कर अप्रार्थी को किया गया भूमि आवंटन ख.सं. 111 रकबा 1 बीघा वाके ग्राम भवानीपुरा आवंटन आदेश दिनांक 07.12.2004 को निरस्त करने हेतु निवेदन किया गया है। प्रकरण प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी बावजूद सूचना के इस न्यायालय में उपस्थित नहीं होने से दिनांक 05.07.2017 को उनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

बहस परोकार सरकार समाप्त की गई।

बहस के दौरान परोकार सरकार ने अवगत किया कि अप्रार्थी देवीशंकर द्वारा आवंटन शर्तों की पालना नहीं कर आवंटन नियमों का उल्लंघन किया गया है। आवंटित भूमि पर अप्रार्थी देवीशंकर का कब्जाकाशत नहीं होकर अन्य व्यक्ति का कब्जा है। अतः अप्रार्थी को आवंटित भूमि खसरा संख्या 111 रकबा 1 बीघा वाके ग्राम भवानीपुरा तहसील हिण्डोली आवंटन आदेश दिनांक 07.12.2004 को निरस्त कर भूमि को राजकीय सिवायचक किया जावे।

हमने बहस परोकार सरकार पर मनन कर पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड से आवंटित भूमि पर अप्रार्थी देवीशंकर का कब्जाकाशत होना प्रमाणित नहीं पाया गया है। अप्रार्थी देवीशंकर द्वारा आवंटन नियमों में निहित शर्तों की पालना भी नहीं की गई है। न्यायालय द्वारा आवंटित भूमि को तलब किये जाने पर बावजूद सूचना के उनके उपस्थित नहीं आने से प्रथमदृष्टया यह जाहिर होता है कि अप्रार्थी को आवंटित भूमि के संबंध में किसी प्रकार की राहत नहीं चाहिए। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर आवंटित भूमि खसरा संख्या 111 रकबा 1 बीघा वाके ग्राम भवानीपुरा तहसील हिण्डोली आवंटन आदेश दिनांक 07.12.2004 को एतद द्वारा निरस्त किया जाकर उक्त आवंटित भूमि को राजस्व अभिलेख में राजकीय सिवायचक दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। पत्रावली फैसले में शुमार होकर बाद तकमिल दाखिल दफ्तर करवाई जावे।

आदेश आज दिनांक 16.08.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अतिरिक्त जिला कलक्टर

बून्दी (संजो)

अतिरिक्त जिला कलक्टर, बून्दी